राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-2/ 2101 जयपुर, दिनांक : 20/1/22

उपनिदेशक/सहायक निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.... (समस्त)

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु जारी प्रोविजनल मैरिट सूची के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावार लक्ष्य निर्धारित कर अभ्यर्थियों की प्रोविजनल मैरिट सूची दिनांक 18.01.2022 को जारी की गई है जिसमें चयनित विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में सम्बधित परीक्षा की कोचिंग करवाई जानी है।

उक्त मैरिट सूची में विशेष पिछड़ा वर्ग (अति-पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों में अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का भी चयनित होना प्रदर्शित हो रहा है।

अतः उक्तानुसार जारी की गई प्रोविजनल मैरिट सूची की समीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को सम्बधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर प्रदर्शित करवाया जा रहा है, सम्बधित जिलाधिकारी इस प्रकार के अपात्र आवेदन पत्रों में वांछित आक्षेप तीन दिवस में अंकित किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि प्रकरण का निदेशालय स्तर से निस्तारण निस्तारण कर अन्तिम सूची शीघ्र जारी की जा सकें।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/सान्याअवि/21/पार्ट-2/ 2102 जयपुर, दिनांक : 20/1/22

प्रतिलिपिः एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रावधान करवाया जाकर उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(डालचन्द वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)